E-Learning Study Material

By- Prof (Dr) YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE, ARA
VKS. UNIVERSITY, ARA, BIHAR

B.A. Economics Hons, Second Year
Paper third.

Objectives of Industrial Policy of 1956

"औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार के उन सिद्धान्त से है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम एवं सिद्धान्त को लागू किया जाता है।"

— एक विचारक

प्रत्येक राष्ट्र के सन्तुलित विकास में एक सुनियोजित औद्योगिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह देश के औद्योगिक विकास को त्वरित कर देश व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है। देश को मार्ग दर्शन व निर्देश देती है, राष्ट्र को आत्मनिर्भर एवं अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में मदद करती है साथ ही जनसाधारण को अपनी आजिविका का साधन निश्चित करने में मदद करती है।

Scanned with CamScanner

स्वतंत्र एवं संप्रभु भारतवर्ष में सुनियोजित औद्योगिक नीति का सिलसिला 1948 की औद्योगिक नीति से प्रारम्भ होता है जिसकी लक्ष्य प्राप्ति में असफलता के कारण 30 अप्रैल 1956 को भारत की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था- "आठ वर्षों में काफी विकास एवं परिवर्तन हुए है। नवीन संविधान बना है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धान्त घोषित किये गये हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इन सभी बातों एवं आदर्शों को प्रतिबिम्बित करते हुए एक नवीन नीति घोषित की जाय।

1956 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य :-

(i) औद्योगिकरण की गति को तेज करना
(ii) भारी उद्योगों का विकास करना
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना
(iv) कुटीर, ग्राम व लघु उद्योगों का विस्तार करना
(v) संतुलित औद्योगिक विकास
(vi) एकाधिकार एवं आर्थिक केन्द्रीयकरण को रोकना।
(vii) आय तथा धन के वितरण की असमानता को कम करना।

Scanned with CamScanner

(viii) रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा श्रमिकों की कार्य एवं रहने की दशा में सुधार

1956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ-

1956 की औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है। इस नीति के अनुसार सरकार पर ही उद्योगों के विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व रखा गया है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. उद्योगों का वर्गीकरण :- 1956 की औद्योगिक नीति में समस्त उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :-

(क) प्रथम श्रेणी में वे उद्योग रखे गये हैं जिनके भावी विकास की पूरी जिम्मेवारी सरकार पर होगी :- इस श्रेणी में 17 बड़े उद्योगों को रखा गया है जिनमें सुरक्षा सम्बन्धी (अस्त्र-शस्त्र, युद्ध सम्बन्धी व अणुशक्ति का उत्पादन) भारी व आधारभूत उद्योग (लोहा व इस्पात, मशीनों का निर्माण, बिजली की मशीनें, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, ताम्बा, जस्ता, खनिज तेल तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज उद्योग आदि)

Scanned with CamScanner

Page-4

तथा जनोपयोगी सेवाएँ (वायु यातायात, समुद्री जहाज बनाना, रेल परिवहन, टेलीफोन एवं उनके तार तथा बेतार के समान, बिजली का उत्पादन एवं वितरण।

(ख) द्वितीय श्रेणी में वे उद्योग रखे गये हैं जिन पर धीरे धीरे सरकार का स्वामित्व होगा :- इस श्रेणी में 12 बड़े उद्योगों को शामिल किया गया है जिसमें भारी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अल्यूमीनियम, खान एवं खनिजों से सम्बन्धित उत्पादन, मशीन औजार, लोह मिश्रण, औषधि, रसायनिक खाद, कृत्रिम रबर, सड़क व समुद्री यातायात उद्योग आदि शामिल हैं। इन उद्योगों की स्थापना में राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे हलांकि इस उद्योग में सरकार की प्रधानता होगी। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास पर बल दिया गया है,

Scanned with CamScanner